[illegible] वर्ल्ड कप में शिरकत कर चुके हैं। 35 साल का ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर्स में से एक है। टेस्ट हो या वनडे टेलर इस वक्त बेहतरीन फार्म में हैं। उन्होंने साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ा था। हालांकि अच्छे फार्म के बावजूद यह वर्ल्ड कप रोस टेलर का आखिरी साबित हो सकता है।

डेल स्टेन : दक्षिण अफ्रीका के घातक गेंदबाज डेल स्टेन ने इसी साल चोट से उबरने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। हालांकि 35 साल के इस तेज गेंदबाज के लिए भी यह वर्ल्ड कप आखिरी हो सकता है। स्टेन अफ्रीका के लिए 124 वनडे पारियां खेल चुके हैं। जिसमें उन्होंने 4.87 की इकोनॉमी के साथ 196 विकेट चटकाए हैं।

क्रिस गेल: कैरिबिया के इस धुंआधार बल्लेबाज ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि वर्ल्ड कप 2019 उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। पिछले कुछ समय से उनकी फिटनेस और खेल में काफी अंतर देखा जा सकता है। उनकी बल्लेबाजी भी पहले की तरह घातक नहीं दिखती। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और आइपीएल के कुछ मैचों में अच्छे फार्म में दिखे लेकिन इसके बावजूद 39 साल के गेल के लिए अगला वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल लगता है।

तारिक क्रिकेट क्लब 18 रन से जीता

लखनऊ। तारिक क्रिकेट क्लब ने राम चन्द्र स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में लाइफ केयर क्रिकेट क्लब को 18 रन से हराया। एनईआर स्टेडियम में तारिक क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करके 32.2 ओवर में 148 रन बनाए। राज सोनकर ने47, रोहित यादव ने नाबाद 18 और वैभव सिंह ने 13 रन बनाए। आकाश उपाध्याय ने चार, प्रशांत सिंह व शुभम मिश्रा ने दो-दो विकेट लिए। जवाब में लाइफ केयर क्रिकेट क्लब की टीम 29.5 ओवर में 130 रन बनाकर आल आउट हो गयी। शुभम मिश्रा ने 35, मुकुल शर्मा ने 24 और शिवांशु वर्मा ने 13 रन बनाए। राज सोनकर ने तीन और रजनीकांत ने दो विकेट लिए।

टीम प्रबंधक को मुझ पर भरोसा: शंकर

नई दिल्ली। भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर ने अपने सामने नंबर चार बल्लेबाजी क्रम को लेकर [illegible] को उठते हुए देखा है। कई पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट पंडित मानते हैं कि इस क्रम के लिए युवा ऋषभ पंत और अनुभवी अंबाती रायुडू अच्छे विकल्प होते, लेकिन पांच सदस्यों की चयन समिति ने इन दोनों को नकारते हुए शंकर को चुना।

शंकर ने कहा कि वह सीख गए हैं कि दबाव मुक्त कैसे हुआ जाता है और अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता [illegible] कोई क्या कह रहा है। [illegible] कहा कि न्यूजीलैंड [illegible] मैंने नंबर तीन पर [illegible] की तो मेरा [illegible] रहा।

Jai Kumar Ambavata (Advocate)
Enrl No.: P(822/2014)

PUBLIC NOTICE

I, **PARVEEN KUMAR** son of Shri **ISHWAR LAL,** residing at House No.669, Subhash Camp, Dakshin Puri, New Delhi-110062, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced Islam and renounced Hinduism with effect from 20-01-2018 and also have changed my name to **PARVEEN** for all purposes.

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 28 मई, 2019 को आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य के साथ, 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे।

इस सूचना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट **www.cubicalrealtors.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

वास्ते क्यूबिकल फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता./-
अश्वनी कुमार गुप्ता
प्रबंध निदेशक
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 13-05-2019

बॉम्बे [illegible]लिजेंस सिक्योरिटी [illegible]र्विस (I) लिमिटेड

ने [illegible] में 16 अप्रैल 2015 से [illegible] अक्टूबर 2018 तक सर्विसेज [illegible] हैं। जिस किसी को भी ESI और EPF etc. से समस्या है [illegible] करके 15 दिन के भीतर [illegible] 295 CR PARK नई दिल्ली में आकर अपनी उचित कारवाही करें। 15 दिन के बाद BIS किसी भी [illegible] की ज़िम्मेदार नहीं लेगी।

(शाखा प्रबंधक)

पहचान की अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की एक आदमी जिसका नाम, निवास और परिवार अज्ञात है, उक्त आदमी जिसकी उम्र 45-50 वर्ष थी, दिनांक 11.05.19 को करकरी मोर फलाईओवर के नीचे रेलवे लाइन पर, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दिल्ली में मृत पाया गया, इस सिलसिले में **डीडी नंबर: 4ए, दिनांक 11.05.19 को पुलिस थाना आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दिल्ली** मे दर्ज की गयी है। पुलिस ने मृतक आदमी की पहचान [illegible] कोशिश की लेकिन अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है।

मृत आदमी का विवरण इस प्रकार है

लिंग: पुरुष, **उम्र:** [illegible] वर्ष, **कद:** [illegible] **रंग:** सांवला, **चेहरा:** अंडाकार, **शारीरिक** [illegible] मध्यम, **पहनावा:** हल्के नीले रंग की शर्ट, स्लेटी [illegible] की [illegible] एवं [illegible] में सफेद और [illegible] के गोल्डस्टार के जूते पहने है।

इस [illegible] आदमी के परिजनों के बारे में यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया थाना प्रभारी आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दिल्ली को सूचित करें।

थानाध्यक्ष
पुलिस थाना आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दिल्ली
फोन नं. 011-21210294, 21210296

DP/3838/RLY/19

पाली हिल गौतम हाउसिंग सोसाइटी लि.
..........याचिकाकर्तागण
विरुद्ध
मै. गौतम बिल्डर्स तथा अन्य
..........प्रतिवादीगण

हमारे मुवक्किल पाली हिल गौतम हाउसिंग सोसइटी लि. यहा इसमें उपरोक्त विवरण में याचिकाकर्तागण ने निम्नलिखित राहतों के लिए उक्त प्रत्यादेश याचिका प्रस्तुत की है :

क) कि यह माननीय न्यायालय भारतीय संविधान की धारा 226 अथवा 227 के अन्तर्गत एक उत्प्रेषण प्रत्यादेश अथवा कोई अन्य प्रत्यादेश, आदेश या निर्देश निर्गत करके संतुष्ट हो सकता है, जिसमें वह अभिलेखों, कागजों तथा वर्तमान वाद की कार्रवाइयों के लिए कह सकता है तथा उसकी विधिकता और उपयुक्तता पर विचार करने के उपरान्त ही वह उसके सम्मुख प्रस्तुत विवादित आदेश दिनांकित 30.10.2014 को अमान्य घोषित कर सकता है तथा/अथवा निरस्त कर सकता है, [illegible] के अनुसार यह भूमि अधिमापन 1225 वर्ग मीटर का भाग और वहा पर खड़े उक्त भवन 'गौतम अपार्टमेन्टस' को प्रतिबन्धित करता है;

ख) कि माननीय न्यायालय भारतीय संविधान की धारा 226 अथवा 227 के अन्तर्गत परमादेश याचिका या कोई अन्य उपयुक्त याचिका, आदेश अथवा निर्देश निर्गत कर संतुष्ट हो सकता है जिसमें एमओएफए की धारा 5ए के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को एमओएफए की धारा 11(4) के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति, जो अधिक विशिष्ट तरीके से 'गौतम अपार्टमेन्ट' और उस पर खड़े कॉटेज के रूप में ज्ञात भवन के साथ दस्तावेज 'ए' में विवरणित है, के सन्दर्भ में मानित हस्तांतरण-पत्र हेतु याचिकाकर्ता सोसाइटी के पक्ष में प्रमाणपत्र निर्गत करने का निर्देश दिया जा सकता है;

ग) कि उपरोक्त याचिका की सुनवाई का विलंबन और अंतिम निपटान, प्रतिवादीगण सं. 3 से 7 तथा/अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो कि उनके माध्यम से/उनके अन्तर्गत दावा कर रहा है, उन्हें इस माननीय न्यायालय के एक आदेश तथा निषेधाज्ञा द्वारा दस्तावेज 'ए' में भूमि अधिमापन 9900 वर्ग फुट के भाग तथा/अथवा उक्त सम्पत्ति पर उस पर निर्मित कॉटेज का निपटान, हस्तांतरण, विक्रय, भारग्रस्त करने अथवा उसमें किसी तृतीय पक्ष का अधिकार सृजित करने तथा/अथवा किसी तृतीय पक्ष को उसमें मिलाने तथा/अथवा उसका भावी विकास करने तथा/अथवा अतिरिक्त एफएसआई उपयोग करने से निरुद्ध किया जाता है;

घ) प्रार्थना उपवाक्य (ग) उपरोक्त के सम्बन्ध में अंतरिम राहत प्रदान करें;

ङ) इस याचिका की लागतों के लिए;

च) माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने तथा वाद की परिस्थितियों के अन्तर्गत उचित होने पर ऐसे ही अन्य अथवा भावी राहतें।

उपरोक्त प्रत्यादेश याचिका 10.06.2019 को 11.00 बजे अथवा उसके उपरान्त दक्ष रजिस्ट्रार (न्यायिक-I) श्री अनिरुद्ध एम. चंदेकर, तृतीय तल, एनेक्स भवन, उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष निर्देश/आदेशार्थ निर्धारित है। अतः आपसे अनुरोध है कि या तो स्वयं व्यक्तिगत [illegible] में अथवा उच्च न्यायालय [illegible] अधिवक्ता अभ्यास हेतु अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उक्त तिथि को उपस्थित रहें [illegible] उपस्थित होने में विफल होने [illegible] एकपक्षीय, आपकी अनुपस्थिति के होते हुए भी सुनवाई कर दी जाएगी।

यह सूचना, प्रत्यादेश याचिका सं. 2674 ऑफ 2017 के अन्तर्गत [illegible] आवेदन सं. 2674 ऑफ [illegible] दक्ष रजिस्ट्रार (न्यायिक-I) [illegible] चन्देकर, उच्च न्यायालय, मुंबई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.04.[illegible] के अनुसार निर्गत की जाती है।

मुम्बई, दिनांकित 15 मई, 2019
एस. के. श्रीवास्तव ऐंड कं.
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता
प्रथम तल, लक्ष्मी इन्श्योरेन्स बिल्डिंग,
सर पी. एम. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400 001
दूरभाष : 2267 4729, 2265 5698
ई-मेल : sks@srivastavandco.com

पायनियर हिन्दी 16-5-2019